न्यायालय सत्र न्यायाधीश, न्यायालय संख्या–10, मथुरा।
दाण्डिक प्रकीर्ण सं०–177/2024
राकेश कुमार अग्रवाल बनाम उ०प्र०राज्य आदि

12–08–2024

पत्रावली प्रस्तुत। पत्रावली आज प्रार्थी राकेश कुमार अग्रवाल की ओर से प्रस्तुत प्रार्थनापत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम, समर्थित शपथपत्र 7 ख के निस्तारण/ आदेश में नियत है, जिस पर पूर्व नियत दिनांक 09.08.2024 को सुना जा चुका है एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

प्रार्थी राकेश कुमार अग्रवाल की ओर से प्रार्थनापत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि विचारण न्यायालय द्वारा प्रार्थी पर विचारण के दौरान सम्बन्धित मुकदमे में दिनांक 04.12.2023 को निर्णय पारित किया गया। सम्बन्धित मुकदमे में विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 04.12.2023 को निर्णय पारित किया गया था, उसके एक माह बाद प्रार्थी को न्यायालय में अपील हेतु जाना था, लेकिन प्रार्थी के स्वयं स्वास्थ्य तथा पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण प्रार्थी समय से अपील नही दाखिल कर पाया है। प्रार्थी वृद्ध है तथा हार्ट का मरीज है तथा पत्नी भी थायराइड, बी०पी०, शुगर आदि की मरीज है, दोनो के इलाज में प्रार्थी व्यस्त रहा इस वजह से अपील में देरी हुई है। प्रार्थी की ओर से जानबूझकर कोई देरी नही की गयी है, जो भी देरी अपील प्रसतुत करने में हुई है, पहला कारण कानूनी जानकारी न होना तथा दूसरा कारण पति पत्नी स्वास्थ्य खराब रहता है। प्रार्थी की 72 दिवस की देरी क्षमा किये जाने योग्य है। प्रार्थी की अपील में देरी न्यायहित में मांफ किये जाने योग्य है, प्रार्थी उक्त अपील को गुणदोष के आधार पर बिना कोई देरी व लापरवाही किये बहस करायेगा तथा न्यायालय में उपस्थित रहेगा व अपना साक्ष्य प्रस्तुत करेगा। प्रार्थनापत्र 6 ख में वर्णित उक्त आधार पर प्रार्थी ने दाण्डिक अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किये जाने की याचना न्यायालय से की है।

उक्त प्रार्थनापत्र के विरूद्ध विपक्षी सं० 1 की ओर से मौखिक आपत्ति प्रस्तुत करते हुये कथन किया गया है कि निर्णय दिनांक 04.12.2023 की जानकारी प्रार्थी को शुरू से रही है, प्रार्थी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर उपरोक्त दाण्डिक अपील देरी से प्रस्तुत की गयी है, अतः प्रार्थी का प्रार्थनापत्र 6 ख अन्तर्गत धारा 5 परिसीमा अधिनियम खारिज होने योग्य है।

प्रार्थी के प्रार्थनापत्र 6 ख के अनुसार विचारण न्यायालय द्वारा फौजदारी सम्मन वाद संख्या 1889/2020 मनोज ट्रेडर्स द्वारा प्रोपराइटर व मालिक मनोज अग्रवाल बनाम राकेश कुमार अग्रवार में दिनांक 04.12.2023 को निर्णय पारित किया, जिसके के एक माह बाद प्रार्थी को अपील हेतु जाना था, लेकिन प्रार्थी के स्वयं स्वास्थ्य तथा पत्नी का स्वास्थ्य खराब रहने के कारण प्रार्थी समय से अपील नही दाखिल कर पाया। प्रार्थी के अनुसार दाण्डिक अपील प्रस्तुत करने में जो विलम्ब हुआ है वह उसकी तबियत खराब व उसकी पत्नी की तबियत खराब तथा कानून की विधिक जानकारी के अभाव के कारण हुआ व जानबूझकर नही किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी के उक्त आधार को देखते हुये तथा मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुये प्रार्थी की ओर से, दाण्डिक अपील को विलम्ब से न्यायालय के समक्ष संस्थित करने का जो कारण, प्रार्थी ने अपने प्रार्थनापत्र 6 ख, में दिया है वह पर्याप्त कारण होना परिलक्षित होता है एवं यहॉ यह भी बात ध्यान देने योग्य है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि व्यवस्था **शिल्पा बनाम मधुकर एवं अन्य, 2001(2)जे०आई०सी० पेज 588, (S.C.)** में माननीय न्यायालय द्वारा यह मत दिया गया है कि धारा 5 परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थनापत्र के सम्बन्ध में, न्यायालय को, उदारवादी दृष्टिकोण अपनाना चाहिये और मात्र प्रक्रिया की तकनीकियों के आधार पर प्रार्थनापत्र निरस्त नही करना चाहिये। ऐसी स्थिति में उपरोक्त विवेचन के आधार पर, विलम्ब का कारण पर्याप्त पाते हुये, प्रार्थनापत्र 6 ख पोषणीय होने के कारण हर्जे पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6 ख 1000/–रूपये हर्जे पर स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी हर्जा अदायगी अन्दर सात दिन करे, तत्पश्चात दाण्डिक अपील की पत्रावली अंगीकरण के बिन्दु पर सुने जाने हेतु दिनांक 27.08.2024 को माननीय जनपद न्यायाधीश, मथुरा के समक्ष प्रस्तुत हो।

(श्वेता वर्मा)
(Ms. Sweta Verma)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–10, मथुरा
J.O.Code– U.P. 6428

Digitally signed by SWETA VERMA
Date: 2024.08.13 16:41:36 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court